संख्याः 163 /xxvii(7)/2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून, दिनांक 22 मई, 2008

विषय :–कार्यदायी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्यों एवं साज–सज्जा विषयक सैन्टेज प्रभार का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या ए–2–87/दस 27–17(4)/75 दिनांक 27 फरवरी, 1997, जिसके अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट के रूप में किये जा रहे कार्यों पर प्रतिशत–प्रभार की दर पुनरीक्षित की गई है, (सुलभ सन्दर्भ हेतु टंकित प्रति संलग्न) को एतद्द्वारा अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रतिशत प्रभार (सैन्टेज प्रभार) की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

1. <u>सैन्टेज प्रभार की दर</u> :–

(1) उन निर्माण कार्यों जिनकी लागत रू0 1.00 करोड़(रू0 एक करोड़) तक है : लागत का 10% (दस प्रतिशत)

(2) रू0 1.00(एक) करोड से अधिक परन्तु रू0 5.00 (पांच)करोड तक : लागत का 09% (नौ प्रतिशत)

(3) रू0 5.00(पांच) करोड से अधिक लागत के निर्माण कार्य : लागत का 08% (आठ प्रतिशत)

2. <u>वास्तुविद सेवाऐं (Architechtural Services)</u> :–

निर्माण कार्य के लिए वास्तुविद सेवाऐं ग्राहक विभाग द्वारा यदि सीधे किसी तृतीय पक्ष से आउटसोर्सिंग द्वारा प्राप्त की जाती हैं तो उस दशा में निर्माण ईकाई/कार्यदायी संस्था को 02% (दो प्रतिशत) सैन्टेज प्रभार कम देय होगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मानक डिजाइन वाले भवन निर्माण कार्यों को छोड़कर रू0 1.00 करोड (रूपये एक करोड) से अधिक लागत वाले भवन निर्माण कार्यों में तृतीय पक्ष से वास्तुविद

सेवाऐं अनिवार्य रूप से ली जायेंगी। वास्तुविद सेवाओं की अधिप्राप्ति ग्राहक विभाग अथवा कार्यदायी संस्था के माध्यम से उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट नियमावली 2008 के अनुसार की जाएगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वास्तुविद सेवाओं में, निम्नलिखित अगं सम्मिलित होंगे:–

(1) कन्सेप्ट प्लानिंग एवं स्कैच;
(2) अनुमानित लागत, ड्रांईग एवं विशिष्टियों;
(3) विस्तृत आगणन, ड्राइंग एवं विशिष्टया;
(4) निविदा आमंत्रण एवं अनुबन्ध गठन सम्बन्धी सलाह;
(5) विस्तृत वर्किंग ड्राइंग/डिजाइन/गुणवत्ता नियंत्रण, एवं
(6) निर्माण के दौरान स्थलीय भ्रमण द्वारा पर्यवेक्षण।

3. <u>लागत व निर्माण अवधि में वृद्धि को हतोत्साहित किया जाना:</u>

(1) जिन निर्माण कार्यों की निर्माण अवधि 18 (अठारह) माह तक होगी उनमें लागत का पुनरीक्षण अनुमन्य नही होगा।

(2) शेष निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में निर्माण कार्य पूर्ण करने में कार्यदायी संस्था की ओर से किये गये विलम्ब की दशा में निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि उपरान्त अग्रेत्तर तीन माह तक के विलम्ब की दशा में प्रतिमाह 0.1% (दशमलव एक प्रतिशत) तथा उससे अधिक विलम्ब की दशा में प्रतिमाह 0.25% (दशमलव दो पांच प्रतिशत) की कटौती कार्यदायी संस्था को देय सैन्टेज प्रभार से की जायेगी।

(3) ग्राहक विभाग व निर्माण ईकाई (कार्यदायी संस्था) के मध्य निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही निर्माण के विभिन्न चरणों तक तथा पूर्ण निर्माण के लिए अवधि नियत की जायेगी एवं इस निर्माण अवधि को सम्मिलित करते हुए दोनों के मध्य एम0ओ0यू0/अनुबन्ध हस्ताक्षर किया जायेगा। एम0ओ0यू0/अनुबन्ध में धनराशि मांग की समयसारिणी (fund flow schedule), कार्ययोजना एवं निर्माण कार्य प्रगति की समयसारिणी/लक्ष्य भी इंगित किया जायेगा। ग्राहक विभाग द्वारा निर्माण ईकाई को अग्रेत्तर किश्ते तब ही अवमुक्त की जायेंगी जब पूर्व किश्तों के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उक्तानुसार नियत किये गये चरणबद्ध निर्माण लक्ष्य को निर्धारित समयावधि के सापेक्ष पूर्ण कर लिए जाने की स्थिति प्रस्तुत कर दी जायेगी। इस हेतु मानक एम0ओ0यू0/अनुबन्ध का आलेख वित्त विभाग द्वारा पृथक से तैयार किया जायेगा परन्तु तब तक प्रत्येक प्रकरण में ग्राहक विभाग उपरोक्तानुसार यथोचित रूप से कार्यदायी संस्था से undertaking अवश्य सम्पादित कर लेंगे।

4. अनुश्रवण/गुणवत्ता नियंत्रण :–

प्रत्येक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में गुणवत्ता नियंत्रण व अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। रू0 05.00 करोड़ (रूपये पांच करोड़) से अधिक लागत के निर्माण कार्यों हेतु यह व्यवस्था बाध्यकारी होगी। गुणवत्ता नियंत्रण व अनुश्रवण के लिए तृतीय पक्ष के चयन आदि कार्य नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा एवं उनका भुगतान भी नियोजन विभाग के बजट से किया जायेगा। ग्राहक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियोजन विभाग के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण व अनुश्रवण कार्य हेतु तृतीय पक्ष को निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के समय तक नियोजित कर लिया जाय। गुणवत्ता नियंत्रण व अनुश्रवण हेतु नियोजित तृतीय पक्ष की नियमित चरणबद्ध रिर्पोट ग्राहक विभाग, वित्त विभाग व नियोजन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। ग्राहक विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में इंगित की गई त्रुटियों का निराकरण व कार्यवाही समय से कर लिया जाये तथा सुझावों पर कार्यवाही की जाये।

5. साज–सज्जा कार्यो हेतु सैन्टेज प्रभार :

साज–सज्जा, उपकरण आदि कार्य कार्यदायी संस्था के माध्यम से कराये जाने की दशा में सैन्टेज प्रभार मात्र 01% (एक प्रतिशत) देय होगा।

कृपया सैन्टेज प्रभार व सम्बन्धित बिन्दुओं पर तदानुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्याः 163 /xxvii(7)/2007 / अतिरिक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग।
3– प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तराखण्ड।
5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6– वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा न0 261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001
7– सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
10– रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
11– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12– स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
13– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14– टी0ए0सी0 (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव